



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220193
CG-DL-E-26062020-220193

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1841]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ 5, 1942

No. 1841]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 2078(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी-गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिय यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संगलन अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषित करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा परकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को

उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जानी कि संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

(अनुसूची)

बरौनी - गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट

(बी० जी० पी० एल०)

राज्य: असम

जिला	सर्कल	मौजा	गाँव	सर्वे नं/ दाग नं	नया क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	7	8		
बारपेटा	सारुपेटा	हस्तिनापुर	गेरुआ पारा	154	00	07	42
				155	00	10	21
				156	00	05	33
				157	00	13	92
				158	00	09	33
				159	00	05	99
				160	00	01	56
				161	00	08	03
				131	00	06	52
				132	00	10	90
				133	00	02	01
				128	00	05	10
				266	00	00	59
				265	00	01	28

[फा. सं. एल-14014/26/2020-जी.पी.-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 2078(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of Assam, a Pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ,(50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which copies of the notification issued under sub – section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, State of Assam.

SCHEDULE

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT

BGPL

State : Assam

District	Circle	Mouza	Village	Survey No./ Dag No.	Current Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	7	8		
Barpeta	Sarupeta	Hastinapur	Gerua Para	154	00	07	42
				155	00	10	21
				156	00	05	33
				157	00	13	92
				158	00	09	33
				159	00	05	99
				160	00	01	56
				161	00	08	03
				131	00	06	52
				132	00	10	90
				133	00	02	01
				128	00	05	10
				266	00	00	59
				265	00	01	28

[F. No. L-14014/ 26/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.